भारत सरकार
भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय
भारी उद्योग विभाग

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 4347
जिसका उत्तर बृहस्पतिवार 5 अप्रैल, 2018 को दिया जाना है

हिन्दुस्तान फोटो फिल्म, तमिलनाडु के कर्मचारियों को वेतन

4347. श्री के आर अर्जुनन:

क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कारण है कि मंत्रालय अपनी जिम्मेदारी से बच रहा है और विशेष रूप से तमिलनाडु में हिन्दुस्तान फोटो फिल्म्स नीलगिरि के कर्मचारियों का उत्पीड़न कर रहा है; और

(ख) तेरह माह से वेतन न दिए जाने के क्या कारण हैं और मंत्रालय अपने प्राधिकार का दुरुपयोग क्यों कर रहा है और कर्मचारियों को कैबिनेट से संस्वीकृत स्वेच्छा सेवानिवृत्ति योजना की प्रतिपूर्ति करने और उच्च न्यायालय के निपटारा आदेश को मानने से इंकार क्यों कर रहा है?

उत्तर
भारी उद्योग और लोक उद्यम राज्य मंत्री
(श्री बाबुल सुप्रियो)

(क) और (ख): माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार भारी उद्योग विभाग एवं लोक उद्यम मंत्रालय के अंतर्गत भारी उद्योग विभाग, हिन्दुस्तान फोटो फिल्म्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड (एचपीएफ) के प्रति अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन कर रहा है।

अप्रैल, 2013 से एचपीएफ में कोई उत्पादन कार्य नहीं चल रहा है। एचपीएफ के पुनरुद्धार के लिए पूर्व में किए गए कई प्रयास असफल रहे हैं। दिनांक 28.02.2014 को हुई अपनी बैठक में सीसीईए ने एचपीएफ के सभी कर्मचारियों के लिए वर्ष 2007 के नोशनल वेतनमान के अनुसार वीआरएस का अनुमोदन किया है, तद्नुसार, वीआरएस की प्रक्रिया शुरू की गई और 466 कर्मचारियों को जिन्होंने वीआरएस लिया था, को दिनांक 30.06.2016 तक कार्यमुक्त किया गया है। यद्यपि, 165 कर्मचारियों ने न तो वीआरएस लिया है और न ही अमान्य आवेदन प्रस्तुत किया है, अतः उन्हें वीआरएस देकर कार्यमुक्त नहीं किया जा सका है। माननीय उच्च न्यायालय मद्रास ने दिनांक 2016 के अपने आदेश के तहत एचपीएफ को बन्द करने के लिए वीआईएफआर के पूर्व के अनुमोदन को स्वीकार कर लिया है।

शेष कर्मचारियों को वीआरएस देने का मामला माननीय उच्च न्यायालय मद्रास और उच्चतम न्यायालय के न्यायिक निर्णय के अधीन है। अंत में माननीय उच्च न्यायालय ने दिनांक 19.02.2018 के अपने आदेश के तहत यूओआई के एसएलपी को इस स्पष्टीकरण के साथ रद्द किया कि उन्हे वही लाभ दिए जाएं, जो कि दूसरों को दिए गए हैं। सरकार ने अब बचे हुए कर्मचारियों को न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन मे वीआरएस देने का निर्णय लिया है और कर्मचारियों को वीआरएस देकर कार्यमुक्त किया जा रहा है।

******